संख्या-02 /2023/ 106 /क.नि.प्र./26-3-2023-15(38)/2015

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ दिनांक: 03 फरवरी,2023

समाज कल्याण विभाग

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद बहराइच के विकास खण्ड-हुजूरपुर के कुल 05 ग्रामों यथा-देवनपुर, खैरा, सिसैया, चौभइया एवं इमलिया में विकास कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-486-89/स0क0/विकास/आधारभूत-बहराइच/(213)/ 2022-23 दिनांक13 जुलाई,2022, पत्रांक-189-90/स0क0/ विकास/ आधारभूत- बहराइच/ (20)/ 2021-21 दिनांक 16 जुलाई, 2021, पत्रांक-189-90/स0क0/विकास/ आधारभूत-बहराइच/(20)/2021-21 दिनांक 16 जुलाई,2021 एवं शासनादेश संख्या-15/ 2018/ 483/ क.नि.प्र./26-2-2028-15(38)/2015 दिनांक 28 मार्च, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में रिट याचिका सं0- 239/2022(पी0आई0एल0) विजय कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन में निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 13.07.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत सिंगल नोडल एजेन्सी (एस.एन.ए.) खाते में जमा धनराशि में से जनपद बहराइच के विकास खण्ड-हुजूरपुर के कुल 05 ग्रामों यथा-देवनपुर, खैरा, सिसैया, चौभइया एवं इमलिया में सी0सी0 रोड, सोलर स्ट्रीट लाइट, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प तथा लेपन कार्य संबंधी विकास कार्य कराये जाने हेतु कुल आगणित लागत रू0 574.48 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-15/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2018/483/क.नि.प्र./26-2-2028-15(38)/2015 दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत रू0 143.00 लाख के उपभोग के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 431.48 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 194.17 लाख (रू. एक करोड़ चौरानबे लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश सं0- 08/2022/570/क0नि0प्र0/26-3-2022-21(48)/ 2021 टी0सी0 दिनांक 11.08.2022 में से स्वीकृति धनराशि में से संबंधित योजनान्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

क्र 0 सं0	**जनपद का नाम**	**विकास खण् ड का नाम**	**ग्राम का नाम**	**कार्य का नाम**	**कार्य की कुल लागत**	**प्रथम किश् त के रूप में स्वीकृत धनराशि**	**अवशेष धनराशि**	**स् वीकृत हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	**बहराइच**	**हुजूरपुर**	देवनपुर	सी0 सी0रोड नाली ,सेलर स्ट्रीट लाईट, इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प तथा लेपन कार्य	43.72	10.80	32.92	14.81
			खैरा	-तदैव-	73.32	18.30	55.02	24.76
			सिसैया	-तदैव-	145.66	36.20	109.46	49.26
			चौभइया	-तदैव-	173.31	43.20	130.11	58.55
			इमलिया	-तदैव-	138.47	34.50	103.97	46.79
	योग-				574.48	143.00	431.48	194.17

(रू0 एक करोड़ चौरानबे लाख सत्रह हजार **मात्र)**

<u>शर्ते/प्रतिबन्ध:-</u>

1. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको से कार्य कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के अन्तर्गत नामित सिंगल नोडल एजेन्सी के खाते में संबंधित योजनान्तर्गत जमा धनराशि में से नियमानुसार किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि को निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय- शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में निर्धारित दिशा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
5. संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।
7. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
9. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित योजना अधिकारी का होगा।
12. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से संबंधित भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
14. योजनान्तर्गत बाट आउट आइटम की श्रेणी से आच्दादित कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेंटेज चार्ज देय नहीं होगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधीन लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश शासनादेश सं0- 08/2022/570/क0नि0प्र0/26-3-2022-21(48)/2021टी0सी0 दिनांक 11.08.2022 में वित्त विभाग की प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

पृ.संख्या- 02 /2023/ 106 /(1)/क.नि.प्र./26-3-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. जिलाधिकारी,बहराइच।
5. कोषाधिकारी,कैसरबाग,लखनऊ/कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी बहराइच।
6. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), बहराइच।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरशन लि0 (यू.पी. सिडको) उ0प्र0 लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

सुभाष राम
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in